204

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

अवमाननावाद संख्या-1091/2012 राम विलास हरिजन एवं अन्य

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

उपस्थिति

(i) वादी की ओर से श्री राधवेन्द्र शरण पाण्डेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा श्री संदीप कुमार सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना ।

(ii) विश्वविद्यालय की ओर से डा० एम० जी० मुस्तफा, कुलसचिव, टी०एम० भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर ।

(iii) उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर प्रो० (डा०) एस०एम० करीम, निदेशक, उच्चं शिक्षा तथा डा० ए०के० शर्मा, सम्पर्क पदाधिकारी ।

आदेश

दिनांक 14.03.2015

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के द्वारा तीन वकालतनामा सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत किया गया । इस क्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं के द्वारा समय की याचना हेतु एक आवेदन समर्पित करते हुए, विषयाधीन मामले में सुनवाई हेतु दो सप्ताह के समय की माँग की गयी ।

2. सुनवाई के क्रम में विश्वविद्यालय कुलसचिव डा० एम०जी० मुस्तफा के द्वारा विश्वविद्यालय पत्रांक RO/SPL/235 दिनांक 20.02.2015 की कंडिका-6 को पुष्टी की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि वादी अंशकालीन दैनिक पारिश्रमिक/ तदर्थ वेतनमान पर कार्यरत दर्शाया गया है जबकि कार्यालय द्वारा काफी छान-बीन के उपरान्त यह पाया गया कि संबंधित कार्यालय आदेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ही नहीं किया गया है तथा यह वादियों द्वारा जालसाजी/धोखाधड़ी करते हुए स्वनिर्मित कार्यालय आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रस्तुत किये जाने की चर्चा है ।

3. सभी पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आलोक में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 28.03.2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित करते हुए कुलसचिव तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को अगली सुनवाई की तिथि को उपस्थिति से छूट देते हुए यह अनुरोध किया गया कि इस आदेश की प्रति सभी वादियों को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्राप्ति रसीद अगली सुनवाई की तिथि को विशेष वाहक के माध्यम उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

14/3/15
(आर०के० महाजन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-14/मु०13-358/12........386....   पटना, दिनांक 16/03/2015

प्रतिलिपिः- कुलसचिव, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/डा० एस०एम० करीम, निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग/ डा० ए०के० शर्मा, सम्पर्क पदाधिकारी, शिक्षा विभाग तथा संबंधित सभी वादीगणों को कुलसचिव, टी०एम०बी०यू० के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

14/3/15
(प्रधान सचिव)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना